अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय-V
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखाओं से प्रकट हुए उनके वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है। इसमें, वर्ष 2020-21 के दौरान (या गत वर्षों के, जिन्हें 01 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप दिया गया था) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों/ निगमों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा तथा इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो द्वारा, प्रदत्त पूंजी अंश कम से कम 51 प्रतिशत निवेशित हो ।

इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी[1] को सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत तथा उनके तहत बनाए गए विनियमन के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीकों के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करवाने का

[1] कॉरपोरेट मामले मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 द्वारा जारी कंपनी (कठिनाई का निराकरण) सातवां आदेश।

अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों के लिए उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ही की जानी चाहिए।

5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना व्यवसायिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए की गई हैं तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2021 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। इनमें राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं 25 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में 19 सरकारी कंपनियां, दो[2] सांविधिक निगम व चार[3] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के नाम, निगमन का माह एवं वर्ष, उनका प्रशासनिक विभाग तथा उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-5.1** में दिया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों **(**विद्युत क्षेत्र**)** में से तीन[4] सरकारी कंपनियां हैं तथा शेष एक[5] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में से, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, स्टॉक एक्सचेंज पर ऋण में सूचीबद्ध[6] सरकारी कंपनी है तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम (ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने अभी तक (31 दिसंबर 2021) अपना व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 19 सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियां[7] व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियां में से एक[8] कंपनी निष्क्रिय है। ये विगत तीन से 21 वर्षों से अकार्यशील हैं एवं इनमें पूंजीगत (₹ 17.75 करोड़) तथा दीर्घावधि ऋण (₹ 60.15 करोड़) के रूप में ₹ 77.90 करोड़ का कुल निवेश है। यह एक

---

2 हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम।

3 धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी) ।

4 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, व्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

5 हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।

6 केवल शेयर बाजार के माध्यम से बांड जारी करता है।

7 एग्रो-इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।

8 हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।

चिंताजनक स्थिति है क्योंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यमों में किया गया निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के टर्नओवर व हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे **तालिका-5.1** में दिया गया है।

तालिका-5.1: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल टर्नओवर	8,342.66	8,814.81	9,725.96	9,912.71	10,603.36
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर)	1,25,634	1,38,351	1,49,442	1,62,816	1,56,522
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का प्रतिशत	6.64	6.37	6.51	6.09	6.77

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के टर्नओवर के आंकड़ों व हिमाचल प्रदेश सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर वर्ष 2016-17 के 6.64 प्रतिशत से बढ़कर 6.77 प्रतिशत हो गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 6,548.60 करोड़), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,127.79 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 1,359.11 करोड़) प्रमुख योगदानकर्ता थे।

5.4 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में धारण इक्विटी एवं ऋण

31 मार्च 2021 तक राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों में क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा दिया गया इक्विटी योगदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का विवरण **तालिका-5.2** में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.2: 31 मार्च 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश[9] (₹ करोड़ में)				
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	राज्य सरकार का ऋण	कुल इक्विटी व दीर्घावधि ऋण
पॉवर	3,814.19	2,087.57	11,636.20	7,223.06	15,450.39
वित्त	144.99	138.30	171.30	84.68	316.29
उद्योग एवं आधारभूत संरचना	62.99	62.87	2.97	2.97	65.96
कृषि एवं संबद्ध	69.33	59.80	72.05	71.65	141.38
सेवा	949.64	933.44	42.61	0.05	992.25
योग	**5,041.14**	**3,281.98**	**11,925.13**	**7,382.41**	**16,966.27**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में निवेश पर जोर दिया गया। विद्युत क्षेत्र को ₹ 16,966.27 करोड़ के कुल निवेश का 91.07 प्रतिशत (₹ 15,450.39 करोड़) प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी व ऋण के रूप में निवेश का विवरण **परिशिष्ट-5.2** में दर्शाया गया है।

5.4.2 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजटीय सहायता

हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न रूपों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों हेतु बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे **तालिका-5.3** में दिया गया है:

तालिका-5.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[10]	2018-19		2019-20		2020-21	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी	6	312.85	7	335.89	7	263.25
दिया गया ऋण	2	369.10	2	571.26	2	268.83
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	11	440.36	9	691.15	9	983.68
कुल व्यय		**1,122.31**		**1,598.30**		**1,515.76**

9 निवेश में इक्विटी व दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

10 राज्य के बजट से बाहर जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

विवरण[10]	2018-19		2019-20		2020-21	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
ऋण चुकौती/ बट्टे खाते में डालना					2	4.18[11]
इक्विटी में परिवर्तित ऋण					-	-
वर्ष के दौरान जारी गारंटियां	5	115.60	7	673.60	8	491.44
गारंटी प्रतिबद्धता/ बकाया	1	0.60	8	1,447.15	4	93.74

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों[12] (₹ 196.98 करोड़) एवं विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य उद्यम (हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 62.02 करोड़) में मुख्य रूप से इक्विटी का निवेश किया। राज्य सरकार ने राज्य के एक विद्युत क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 266.00 करोड़) को ऋण भी प्रदान किया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी का बड़ा हिस्सा हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 529.20 करोड़[13]) एवं शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (₹ 195.24 करोड़[14]) को प्रदान किया गया।

5.4.3 ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्ति के सापेक्ष कुल कर्ज/ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने की विधियों में से एक है कि क्या कंपनी ऋण चुकाने में समर्थ है (सॉल्वेंट) अथवा नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के कुल परिसंपत्ति मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का कवरेज अनुपात **तालिका-5.4** में दिया गया है।

---

11 हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹ 1.93 करोड़ और ₹ 2.25 करोड़ ऋण का पुर्नभुगतान।

12 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 50.77 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 62.21 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 84.00 करोड़) ।

13 हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमत मुफ्त/रियायती यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान।

14 परिचालन एवं प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए।

तालिका-5.4: 30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋण का कवरेज

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्षेत्र	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	परिसंपत्ति	दीर्घावधि ऋण	परिसंपत्ति से दीर्घावधि ऋण अनुपात
		(₹ करोड़ में)		
सरकारी कंपनियां	12	22,588.41	10,447.68	2.16:1
सांविधिक निगम	2	1,193.23	177.63	6.72:1
योग	**14**	**23,781.64**	**10,625.31**	**2.24:1**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य उनके सकल ऋण/कर्ज से अधिक था।

5.4.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड राज्य की एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी थी। यद्यपि 1976 से इसके शेयरों में व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं हुआ। वर्तमान में यह कंपनी सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में है। इसलिए कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कंपनी का बाजार पूंजीकरण, कंपनी पर लागू नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड भी स्टॉक एक्सचेंज में ऋण की श्रेणी[15] में सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है।

5.4.5 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम के निजीकरण का कोई मामला सामने नहीं आया। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की है।

5.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल

5.5.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से 11 कार्यशील उद्यमों ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों द्वारा 2019-20 में अर्जित ₹ 36.24 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 28.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया । राज्य के

[15] केवल शेयर बाजार के माध्यम से बांड जारी करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सात[16] उद्यमों ने या तो अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए थे या उनके पास दर्ज करने योग्य लाभ व हानि नहीं थी (व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं हुआ था या आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई)।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों क्रमश: हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 9.69 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 5.06 करोड़) ने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभ अर्जित किया। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की वित्तीय स्थिति का सारांश **परिशिष्ट-5.3** में दर्शाया गया है।

5.5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

राज्य सरकार ने नीति बनाई थी (अप्रैल 2011) कि सभी लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर) राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त पूंजी के अंश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात लाभ का 50 प्रतिशत की सीमा तक, करेंगे। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यशील उद्यमों (निष्क्रिय उद्यम-हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड को छोड़कर) ने कुल ₹ 28.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा राज्य सरकार की नीति के अनुसार इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सात[17] उद्यम लाभांश घोषित करने के योग्य थे।

यद्यपि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल तीन उद्यमों ने ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.35 करोड़, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड: ₹ 1.54 करोड़ व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 0.36 करोड़)। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक

---

16 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने अपने पहले खातों को अग्रेषित नहीं किया है: (i) शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड और (ii) श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की जाती है जिन्होंने अपने लाभ और हानि खाते तैयार नहीं किए हैं: (i) धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (ii) शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, (iv) रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड और v) ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

17 (i) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, (v) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, (vi) हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड और (vii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।

क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.58 करोड़[18] का लाभांश राज्य सरकार को नहीं चुकाया /प्रदान किया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष चार उद्यम[19] राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान करने हेतु योग्य/अपेक्षित नहीं थे।

5.6 ऋण अदायगी

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कम्पनी के उपार्जन लाभ को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान अधिकतम ब्याज वाले राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं सांविधिक निगमों के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका-5.5** में दिया गया है।

तालिका-5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2018-19			2019-20			2020-21		
	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
विद्युत क्षेत्र के उद्यम									
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	503.35	459.14	0.91	457.06	460.72	1.01	476.22	290.90	0.61
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	(-) 32.35	-	96.23	17.11	0.18	11.04	(-) 44.27	(-) 4.01

[18] हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (₹ 1.33 करोड़), हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (₹ 0.61 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड (₹ 0.46 करोड़) और हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.18 करोड़)

[19] हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2018-19			2019-20			2020-21		
	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	(-) 8.02	-	9.13	(-) 31.79	(-) 3.48	129.80	23.82	0.18
सांविधिक निगम									
हिमाचल पथ परिवहन निगम	-	(-) 118.57	-	19.90	(-) 134.90	(-) 6.78	15.24	(-) 131.19	(-) 8.61
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम[20]	7.62	2.12	0.28	7.62	2.12	0.28	7.62	2.12	0.28

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र) व सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

टिप्पणी: गैर-विद्युत क्षेत्र में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (कंपनियों) के ब्याज कवरेज अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि इन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऋण/देयताएं नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार केवल 30 नवंबर 2021 तक उनके ₹ 10,685.46 करोड़ में से ₹ 123.39 करोड़ थी।

यह देखा गया कि विद्युत् क्षेत्र के किसी भी राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व सांविधिक निगम का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक नहीं था। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम उनके ब्याज के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

5.6.2 राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

राज्य के विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों (ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण पर ₹ 2,219.57 करोड़ की ब्याज देयता उत्पन्न थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) (सात) का विश्लेषण राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किए गए ऋण की नगण्य राशि के कारण नहीं किया गया। राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के ऋण पर अर्जित ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका-5.6** में दिया गया है:

[20] वर्ष 2018-19 के बाद राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी लेखा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण वर्ष 2018-21 के आंकड़े समान हैं।

तालिका-5.6: राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम समय से बकाया राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज	एक वर्ष से अधिक समय से बकाया राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	23.91	23.91	-
2	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,717.34	242.96	1,474.38
3	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	478.32	152.19	326.13
	योग	**2,219.57**	**419.06**	**1,800.51**

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2021 तक ₹ 2,219.57 करोड़ का ब्याज भुगतान हेतु लंबित था तथा जिसमें से ₹ 1,800.51 करोड़ का ब्याज एक वर्ष से अधिक के लिए देय था।

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना ब्याज व कर के पूर्व कंपनी की अर्जित आय को नियोजित पूंजी[21] से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की कुल नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण **तालिका-5.7** में दिया गया है।

तालिका-5.7: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व कर से पूर्व अर्जित आय	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत)
2018-19	334.08	9,083.53	3.68
2019-20	342.93	9,678.45	3.54
2020-21	178.87	11,450.50	1.56

स्रोत: 30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार जानकारी

यह देखा गया कि 2020-21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2018-19 के 3.68 प्रतिशत से घटकर 1.56 प्रतिशत हो गया, जो नियोजित पूंजी

[21] नियोजित पूंजी = चुकता शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

(मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में) में वृद्धि व ब्याज व कर से पूर्व अर्जित आय में गिरावट के कारण हुआ।

5.7.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात कर पश्चात् निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना हर उस कंपनी के लिए की जा सकती है जिसकी निवल आय एवं शेयरधारक निधि दोनों धनात्मक संख्या हो।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी व मुक्त आरक्षित निधियों, निवल संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह उजागर करती है कि यदि सभी परिसंपत्तिया बेच दी जाए एवं सभी ऋण चुका दिए जाए तब कंपनी के शेयरधारकों हेतु कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कंपनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 17.51 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 26 कार्यशील उद्यम, जिसमें घाटे में चल रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्यम भी सम्मिलित है, का इक्विटी पर प्रतिफल[22] ऋणात्मक रहा।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण नीचे **तालिका-5.8** में दिया गया है।

तालिका-5.8: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2018-19	(-) 183.49	360.11	-
2019-20	(-) 280.23	856.81	-
2020-21	(-) 490.37	819.58	-

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

[22] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यमों को छोड़कर जिन्होंने या तो अपना प्रथम लेखा/लाभ-हानि लेखा अभी तक तैयार नहीं किया था अथवा जिनमें व्यय आधिक्य की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

2018-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक होने के कारण इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

5.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2021 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर संयुक्त किया जाता है तथा ब्याज की यह वर्ष-वार औसत दर सम्बंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत पर ली जाती हैं। अतः जहां कही भी परिचालन एवं प्रबंधन खर्च हेतु इक्विटी, ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है वहां राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई तथा इन कंपनियों के प्रारंभ होने से 31 मार्च 2021 तक हुए विनिवेशों को शामिल नहीं किया गया। वर्ष 1999-2000 से 2020-21 की अवधि हेतु ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश की कंपनी-वार स्थिति **परिशिष्ट-5.4** में इंगित की गई है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज रहित ऋणों को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ब्याज रहित ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से घटा दिया गया है एवं उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर[23] को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वो वर्ष हेतु निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटाया गया है।

[23] भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)/2] *100.

तालिका-5.9: राज्य सरकार द्वारा किए निवेश का वर्ष-वार विवरण एवं वर्ष 1999-2000 से 2020-21 तक सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निवल ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक-व्यवसायिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान/ सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अंकित मूल्य पर विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच = सी + डी-ई + एफ-जी	आई = बी + एच		के=आई*(1+ जे/100)	एल = मैं * जे / 100		एन = एम / के * 100
1999-2000 तक	-	300.04	0.49	-	-	-	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	-	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	-	-	-	33.99	361.06	10.15	397.70	36.65	-49.50	-
2001-02	397.70	13.01	-	-	-	-	13.01	410.71	11.06	456.14	45.42	-36.70	-
2002-03	456.14	12.43	-	-	-	-	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19	-
2003-04	517.16	28.60	-	-	-	-	28.60	545.76	10.98	605.68	59.92	-31.10	-
2004-05	605.68	16.06	-	-	-	-	16.06	621.74	10.60	687.65	65.90	-43.44	-
2005-06	687.65	13.59	0.15	-	-	-	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72	-
2006-07	765.92	14.30	-	-	-	-	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08	-
2007-08	853.56	118.42	2.25	-	-	-	120.67	974.23	9.09	1062.78	88.56	-46.66	-
2008-09	1062.78	306.29	-0.10	-	-	-	306.19	1368.97	9.19	1494.78	125.81	-33.88	-
2009-10	1494.78	405.27	-	-	-	-	405.27	1900.05	8.59	2063.27	163.21	-55.92	-
2010-11	2063.27	566.89	-	-	-	-	566.89	2630.16	7.78	2834.78	204.63	-190.77	-
2011-12	2834.78	124.99	9.50	-	-	645.85	-511.36	2323.42	7.80	2504.65	181.23	-224.68	-
2012-13	2504.65	303.72	5.00	-	-	-	308.72	2813.37	8.08	3040.69	227.32	-404.4	-
2013-14	3040.69	287.24	2.54	-	-	-	289.78	3330.47	7.71	3587.25	256.78	-625.17	-
2014-15	3587.25	339.20	-	-	-	550.00	-210.8	3376.45	7.91	3643.53	267.08	-455.69	-
2015-16	3643.53	217.31	14.54	-	-	-	231.85	3875.38	8.37	4199.75	324.37	-332.71	-
2016-17	4199.75	250.82	10.07	-	-	-	260.89	4460.64	8.13	4823.29	362.65	-105.47	-
2017-18	4823.29	232.91	8.00	-	-	-	240.91	5064.20	8.41	5490.10	425.90	-123.81	-
2018-19	5490.10	312.85	10.00	-	-	-	322.85	5812.95	8.32	6296.58	483.64	-183.99	-
2019-20	6296.58	335.91	-		114.89		450.80	6747.38	7.97	7285.15	537.77	-270.79	-
2020-21	7285.15	263.25	-1.35		236.84		498.74	7783.89	7.59	8374.69	590.80	-480.93	-
		4495.58	**62.60**	**-**	**351.73**	**1195.85**	**3714.06**						

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार का इन कम्पनियों में कुल निवेश ₹ 3,714.06 करोड़ था, जो कि राज्य सरकार द्वारा किए गए विनिवेश के ₹ 1195.85 करोड़ के समायोजन (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड: 2011-12 में ₹ 537.15 करोड़ एवं 2014-15 में ₹ 550.00 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड: 2011-12 में ₹ 108.70 करोड़) के पश्चात् था। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 8,374.69 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान इन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निवल आय (-)₹ 480.93 करोड़ थी। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के लिए वास्तविक प्रतिफल की दर (-) 5.74 प्रतिशत थी। अत: यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2000-01 के बाद से कंपनियों का कुल अर्जन ऋणात्मक रहा, जो यह दर्शाता है कि निवेशित निधि पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय ये कंपनियां पूंजी की लागत की वसूली करने में भी सक्षम नहीं थीं।

5.8 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

5.8.1 हानि

31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उठाई हानियों का विवरण **तालिका-5.10** में दिया गया है।

तालिका-5.10: 2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हुई हानि

वर्ष	हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष की निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ[24]
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम (क)				
2018-19	2	124.07	1,399.04	(-) 578.98
2019-20	2	160.30	1,553.84	(-) 674.78
2020-21	2	151.93	1,700.26	(-) 741.82
सरकारी कंपनियां (ख)				
2018-19	5	14.38	231.72	(-) 162.42
2019-20	7	156.22	436.91	1,804.39
2020-21	8	366.67	2,253.44	1,009.34
कुल (क+ख)				
2018-19	7	138.45	1,630.76	(-) 741.40
2019-20	9	316.52	1,990.75	1,129.61
2020-21	10	518.60	3,953.70	267.52

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

[24] नेट वर्थ का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी तथा मुक्त भंडार और अधिशेष का कुल योग कम (-) संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय। मुक्त भंडार का अर्थ है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों द्वारा उठाई ₹ 518.60 करोड़ की कुल हानि में से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹ 146.43 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उन्हें हुई क्रमशः ₹ 185.32 करोड़ एवं ₹ 105.98 करोड़ की हानि भी कारण रही।

5.8.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों में ₹ 4,074.85 करोड़ की संचित हानि पाई गई। इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों को, नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, ₹ 518.60 करोड़ की हानि हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 में से नौ उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ या तो शून्य या ऋणात्मक था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 1,856.34 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति उनका नेटवर्थ (-) ₹ 1,868.68 करोड़ था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ में से तीन[25] उद्यम, जिनकी पूंजी का क्षरण हो चुका था, ने ₹ 5.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ में से चार उद्यमों के बकाया सरकारी ऋण ₹ 3,176.52 करोड़[26] थे।

5.9 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम योजना का कार्यान्वयन

उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

5.9.1 वित्तीय बदलाव

2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय योजना एवं त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन प्रावधानों के अनुसार 15 सितम्बर 2015 को राज्य डिस्कॉम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹ 3,854.00 करोड़) में से कुल ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण अधिग्रहण किया। उदय योजना के अंतर्गत सब्याज ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि को वर्ष 2020-21 के दौरान 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत को इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। यद्यपि उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अभी तक अनुदान व इक्विटी में परिवर्तित नहीं

---

[25] हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम।

[26] हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड: ₹ 2,971.67 करोड़, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड: ₹ 60.09 करोड़, एग्रो-इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड: ₹ 60.15 करोड़ और हिमाचल प्रदेश वित्त निगम: ₹ 84.61 करोड़।

किया गया (दिसंबर 2021)। डिस्कॉम ने उदय योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर फरवरी 2017 से मार्च 2021 की अवधि हेतु ₹ 912.00 करोड़ का ब्याज चुकाया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 7.49 प्रतिशत से 8.19 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिए गए थे।

5.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा या टिप्पणियां जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने की विधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं का लेखांकन किया जाना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है।

5.11 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाएं। सितंबर 2020 व फरवरी 2021 के मध्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु उपरोक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई।

5.12 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियम में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना

चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी विचारार्थ उक्त आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) के प्रावधानों की अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल है, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है। उपरोक्त के बावजूद 30 नवंबर 2021 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित है।

5.12.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में 26 कंपनियां (हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड, जो 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया में है को छोड़कर, 22 सरकारी कंपनियां व चार[27] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां) थीं। इनमें से तीन[28] कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के लेखे एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 23 उद्यमों के वर्ष 2019-20 या पूर्व के वर्षों के लेखे प्रस्तुत किए। 30 नवंबर 2021[29] तक या इससे पूर्व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 18 उद्यमों[30] के 23[31] वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिया गया। 30 नवंबर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उद्यमों (सांविधिक निगमों को छोड़कर) के 62 वार्षिक लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उद्यमों (सरकारी कंपनियां: 20 व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: तीन) के सम्बन्ध में बकाया वार्षिक लेखाओं का विवरण **तालिका-5.11** में दिया गया है:

---

27 हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड और शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

28 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

29 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों की आम वार्षिक वैठक आयोजित करने की तिथि को भारत सरकार, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आदेश दिनांक 23 सितंबर 2021 के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, पंजाब और चंडीगढ़ द्वारा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

30 सरकारी कंपनियां: 14 और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां: चार।

31 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड: तीन; ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम: प्रत्येक के दो और अन्य 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से: प्रत्येक का एक।

तालिका-5.11: 30 नवंबर 2021 तक कंपनियों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं व बकाया लेखाओं का विवरण

विवरण	सरकारी कंपनियां	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	कुल
1.	2.	3.	4.
31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	22	4	26
1 जनवरी 2021 को बकाया लेखाओं की संख्या	52	7	59
कंपनियों की संख्या, जिनके लेखे वर्ष 2020-21 हेतु बकाया थे	22	4	26
अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए बकाया लेखाओं की कुल संख्या	**74**	**1 1**	**85**
1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक के लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	14	4	18
अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	18	05	23
30 नवंबर 2021 को बकाया लेखाओं की संख्या	56	06	62
बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण	**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या (30 नवंबर 2021 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखे)**		
एक वर्ष	7 (7)	1(1)	8 (8)
दो वर्ष व तीन वर्ष	7(16)	2(5)	9 (21)
तीन वर्ष से अधिक	6(33)	-	6(33)
योग	**20 (56)**	**3 (6)**	**23 (62)**

30 नवंबर 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या एवं कंपनियों के नाम **परिशिष्ट-5.5** में दर्शाए गए हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के अभाव में संचालित नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश एवं व्यय का सही आंकलन किया गया तथा जिस उद्देश्यार्थ निवेश किया गया था उसे प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य कोषागार में उनके योगदान, साथ ही उनकी गतिविधियों की सूचना भी विधायिका को प्रेषित नहीं की गई।

बकाया लेखाओं के मामले को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग/कंपनियों के प्रमुखों के साथ उठाया गया (सितंबर 2021)। यद्यपि,

30 नवंबर 2021 तक अभी भी ऐसी छः कंपनियां थीं जिनके लेखे तीन साल से अधिक समय से बकाया थे।

5.12.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों[32] में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा संचालित की जाती है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। 30 नवंबर 2021 तक दो सांविधिक निगमों के चार लेखे (हिमाचल प्रदेश वित्त निगम: तीन एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम: एक) लेखापरीक्षा के लिए बकाया थे।

5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची **III** में निर्धारित प्रारूप में लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरणी तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुक्रम में उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है:

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके, एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

---

[32] हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।

5.13.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

किसी कंपनी के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी, कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखांकन का प्रयोग करते हुए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उप-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत प्रतिवेदित की जाती है तो उन्हें आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

5.14 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

5.14.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 18 कंपनियों[33] के 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 23 लेखाओं की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। कुल मिलाकर, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 18[34] कंपनियों के, 23[35] लेखाओं की वर्ष के दौरान समीक्षा की गई, जो कि 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त/अंतिम रूप दिए गए थे। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

5.14.2 वित्तीय विवरणियों का संशोधन

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी कंपनियों या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देशों पर उनकी वित्तीय विवरणियों में संशोधन करने का कोई मामला नहीं पाया गया। तथापि सांविधिक लेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड से 01 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि हेतु वित्तीय विवरणियां

---

33 सरकारी कंपनियां: 14 और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां: चार।

34 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड: तीन; ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधननिगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम: प्रत्येक के दो; व अन्य 14 कंपनियों से: प्रत्येक का एक।

35 2014-15: एक; 2015-16: एक; 2017-18: दो; 2018-19: पांच; 2019-20: 11 और 2020-21: तीन।

प्राप्त की गईं (नवंबर 2021), परन्तु निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने से उन्हें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निदेशक मंडल के अनुमोदन एवं तदोपरांत सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तैयार करने हेतु वापस कर दिया गया (नवंबर 2021) ।

5.14.3 लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण

वर्ष 2020-21 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जनवरी 2021 व नवंबर 2021 के मध्य संचालित वर्ष 2020-21 अथवा पूर्ववर्ती वर्षों की वित्तीय विवरणियों की अनूपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पुनरीक्षण का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.14.4 अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में, जैसा कि **परिशिष्ट-5.6** दर्शाया गया है, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक एवं साथ ही गुणात्मक परिवर्तन किए गए, जिससे उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों में संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप लेखापरीक्षित लेखाओं में हुए मूल्यवर्धन (लाभप्रदता पर ₹ 189.67[36] करोड़ व परिसंपत्ति/देयताओं पर ₹ 2,081.07 करोड़) को **चार्ट-5.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-5.1- जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक अंतिम रूप दी गई वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का विवरण

(₹ करोड़ में)

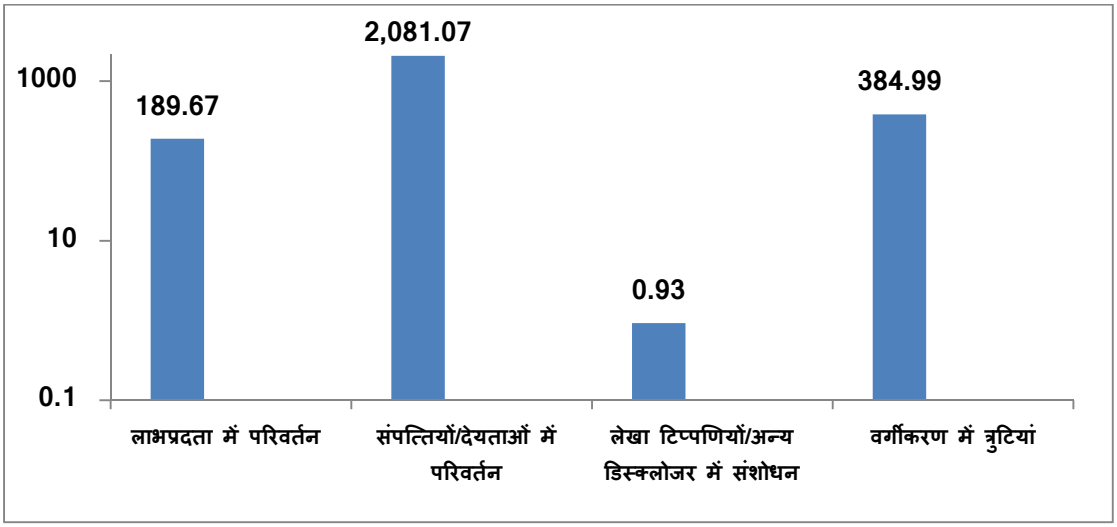

[36] अत्योक्ति: {लाभ (₹ 17.36 करोड़) व हानि (₹ 47.88 करोड़)} व न्यूनोक्ति: {हानि (₹ 124.20 करोड़) व लाभ (₹ 0.23 करोड़)}।

5.14.5 सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक के रूप में जारी उल्लेखनीय टिप्पणियां

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2020-21 एवं पूर्ववर्ती वर्षों की वित्तीय विवरणियों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के पश्चात् राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों की 23 वित्तीय विवरणियों की अनूपूरक लेखापरीक्षा संचालित की। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के प्रबंधन (हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड को छोड़कर, जिसे वर्ष 2019-20 हेतु 'शून्य' टिप्पणियां जारी की गई थी) को टिप्पणियां जारी की गईं, जिन वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी। सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां नीचे **तालिका-5.12** में दी गई हैं:

तालिका-5.12: वित्तीय विवरणों पर जारी उल्लेखनीय टिप्पणियां

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए बनाला (कुल्लू) में 400/200 केवी सब-स्टेशन के बे शुल्क के संबंध में ₹ 28.37 करोड़ के विलंबित भुगतान के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुकाने योग्य सरचार्ज पर ₹ 5.28 करोड़ की देयता सृजित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 'वर्तमान देयताएं-अन्य वित्तीय देयताएं' व 'हानि' पर ₹ 5.28 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। कंपनी ने काशांग-भाबा ट्रांसमिशन लाइन के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में वसूले गए ट्रांसमिशन शुल्क के प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को देय ₹ 3.71 करोड़ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय देयताएं-वर्तमान' व 'हानि' पर इतनी राशि की न्यूनोक्ति हुई। व्यापार प्राप्तियों पर न्यूनोक्ति व 'हानि' पर ₹ 38.24 करोड़ की अत्योक्ति हुई, जो कि 220 केवी डी/सी काशांग-भाबा ट्रांसमिशन लाइन के लिए हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से 220/66 केवी भोक्टू पूलिंग सब-स्टेशन के लिए वर्ष 2016-2020 की अवधि हेतु वसूली योग्य शेष ट्रांसमिशन शुल्क था।
2	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2018-19)	निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मांगे गए ₹ 15.59 करोड़ के प्रति समूह ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण के लिए केवल ₹ 4.25 करोड़ का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.34 करोड़ से 'अन्य चालू देनदारियां-अन्य देय' पर न्यूनोक्ति एवं 'लाभ' की अत्योक्ति हुई।
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	वन विभाग को देय के साथ-साथ 'हानि' पर, क्रमशः ब्याज का प्रावधान (₹ 11.62 करोड़) न करने, विस्तार शुल्क (₹ 0.87 करोड़) न करने एवं रेज़ीन व लकड़ी पर रॉयल्टी (₹ 3.17 करोड़) का समायोजन न करने के कारण ₹ 15.66 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
		वन विभाग को देय के साथ-साथ 'हानि' पर, गत 21 वर्षों से वन विभाग को देय ₹ 2.83 करोड़ को प्रतिलेखित न करने, वन कार्य मंडल (चौपालः ₹ 2.40 करोड़ व सुंदरनगर: ₹ 0.23 करोड़) द्वारा किए गए रॉयल्टी के अतिरिक्त प्रावधान पर ₹ 2.63 करोड़ को प्रतिलेखित न करने तथा क्रमशः वन कार्य मंडल चौपाल (₹ 0.30 करोड़) एवं हमीरपुर (₹ 0.83 करोड़) के सम्बन्ध में ₹ 1.13 करोड़ की रेज़ीन रॉयल्टी का समायोजन न करने के कारण ₹ 6.59 करोड़ की अत्योक्ति हुई। लेखा मानक-15 के उल्लंघन में निगम ने 31 मार्च 2018 तक 397 कर्मचारियों के खाते में जमा हुए अर्जित अवकाश के ₹ 14.72 करोड़ के सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'अल्पकालिक प्रावधान' व 'हानि' पर उतनी राशि की न्यूनोक्ति हुई।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2020-21)	'संपत्ति संयंत्र व उपकरण' एवं 'अन्य गैर-वर्तमान देयताएं-पूंजी की लागत पर उपभोक्ता योगदान' पर ₹ 5.38 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई, विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं निष्पादित कार्यों का मूल्य होने के नाते, जो उस विशेष उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करते समय कंपनी की संपत्ति बन गई।
2	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	भारतीय लेखांकन मानक-37 के उल्लंघन में, कंपनी ने ₹ 6.56 करोड़ को आकस्मिक संपत्ति के रूप में दिखाने के बजाय, ठेकेदार से 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए वसूली योग्य ब्याज के रूप में दिखाया था, मामला अभी मध्यस्थता में है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - अन्य अग्रिम' की अत्योक्ति हुई और 'निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय' की ₹ 6.56 करोड़ से न्यूनोक्ति हुई।
3	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2018-19)	कंपनी ने भारतीय खाद्य निगम से ₹ 109.56 करोड़ का गेहूं खरीदा था, जो मिल मालिकों को कस्टम ग्राइंडिंग के लिए आवंटित किया गया था। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में मिलिंग की लागत को दर्ज करने के बजाय, मिल मालिकों को बिक्री के रूप में आवंटन दर्ज किया और मिल मालिकों से कस्टम ग्राइंडिंग के बाद गेहूं/दलिया की प्राप्ति को खरीद के रूप में दिखाया गया था। इस प्रकार, गेहूं की लागत को दो बार खरीद में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'खरीद' व 'बिक्री' पर ₹ 109.56 करोड़ की अत्योक्ति हुई। 'अन्य चालू देयता' एवं 'चालू संपत्ति' को 'चालू संपत्ति' (जीएसटी/वैट वसूली योग्य)' के बजाय जीएसटी/वैट देय शीर्ष के तहत डेबिट बैलेंस में दर्शाने के कारण ₹ 2.39 करोड़ (मुख्यालय: ₹ 0.48 करोड़ व एरिया ऑफिस, धर्मशाला: ₹ 1.91 करोड़) से न्यूनोक्ति हुई ।
4	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	धर्मशाला में दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के दौरान निर्दिष्ट स्थानों पर आधुनिक भूमिगत कचरा संग्रहण प्रणाली की आपूर्ति, वितरण व स्थापना के लिए एक पार्टी द्वारा उठाए गए चालान के खर्च का प्रावधान न करने के कारण

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
		'अन्य वर्तमान देनदारियों' एवं 'स्थायी संपत्ति-पूंजीगत कार्य-प्रगति' पर ₹ 4.68 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा प्रस्तुत चालानों के कारण उत्पन्न देनदारियों के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप 'विभिन्न लेनदारों' की न्यूनोक्ति एवं 'अन्य वर्तमान देयताएं - अप्रयुक्त अनुदान' पर ₹ 0.78 करोड़ की अत्योक्ति हुई।
प्रकटीकरण पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2018-19)	कंपनी ने टिप्पणी संख्या 37 के माध्यम से 31 मार्च 2017 को विभिन्न न्यायालयों में निर्णय के लिए लंबित 1,823 मामलों का विवरण बताया एवं ₹ 7.78 करोड़ की देयता निर्धारित थी, परन्तु प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि 31 मार्च 2019 तक, विभिन्न न्यायालयों में कुल 1,998 मामले लंबित थे। इसलिए लेखाओं पर टिप्पणियों में कमियां थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ₹ 1.67 करोड़ (मूल लागत) मूल्य की सुरंग की विद्युत प्रणाली के साथ-साथ थलौत, जिला मंडी के पास बगीतर में ₹ 66.30 करोड़ (मूल लागत) मूल्य की ऑटो ट्रैफिक टनल का अधिग्रहण किया। उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आवासीय अभियंता लारजी, पीएचडी, थलौट की भूमि व कार्यालय भवन का भी अधिग्रहण किया, जिसका मूल्य ₹ 0.32 करोड़ (भूमि- ₹ 0.10 करोड़ व भवन- ₹ 0.22 करोड़ (मूल लागत)) है तथा इसके लिए कंपनी को ₹ 4.13 करोड़ के मुआवजे का भुगतान किया। यह एक भौतिक तथ्य होने के कारण लेखाओं में टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए था।
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2020-21)	ऊर्जा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुफ्त बिजली के अंश में अंतर के कारण ₹ 9.53 करोड़ (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा ₹ 3.13 करोड़ का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त बिजली चालानों को कम पारित के कारण एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के ₹ 6.40 करोड़ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अभी चालानों को पारित करना शेष) की मांग उठाई, जो कि कंपनी द्वारा आई.पी.पी से प्राप्त किया गया। कंपनी ने न तो देयता को मान्यता दी और न ही देयता की पुष्टि हेतु कोई मिलान किया । अतएव मिलान होने तक इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट -ऊहल स्टेज- III के लिए पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड से ₹ 933.40 करोड़ का ऋण लिया । यह ऋण ऊहल -III की परियोजना भूमि की अचल संपत्ति एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की गारंटी पर प्रभार द्वारा सुरक्षित किया गया, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
		34 वीं बैठक में अनुमोदित किया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना होने के कारण लेखाओं में टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए था।
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	राज्य सरकार ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹ 300 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ करने के लिए (07 मार्च 2019 व 22 दिसंबर 2020) मंजूरी दी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से अनुमोदन के अभाव में अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि लंबित थी। कंपनी के "सक्रिय-गैर-अनुपालन" होने के कारण कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से अनुमोदन लंबित था क्योंकि कंपनी ने कंपनी सचिव अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त नहीं किया था। इस प्रकार, कंपनी को राज्य सरकार से प्राप्त ₹ 85.74 करोड़ के इक्विटी योगदान को शेयर एप्लीकेशन मनी के रूप में दिखाना पड़ा। यह भौतिक तथ्य होने के कारण लेखाओं में टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए था ।
3	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (2019-20)	निगम द्वारा सतलुज नदी से शिमला को थोक जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए ₹ 322.54 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई एवं इसकी प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति 22 अक्टूबर 2018 को निदेशक मंडल द्वारा प्रदान की गई। हालांकि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित किया गया एवं निदेशक मंडल द्वारा 20 मई 2020 को ₹ 430.39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दी गई। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य होने के कारण लेखाओं की टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए था।
4	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	कंपनी अधिनियम की धारा 137 के अनुसार, कंपनी वार्षिक आम बैठक के बाद कंपनी के पंजीयक के पास वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ वित्तीय विवरणी दाखिल करने में विफल रही।
स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018-19)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक एंड्रिट्ज़ हाइड्रो पॉवर लिमिटेड को ₹ 54.03 करोड़ की कुल तीन प्रगतिशील भुगतान अग्रिम प्रकृति के थे एवं भविष्य में आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले चालानों के साथ समायोजित किया जाना था। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता को दिए जाने वाले अग्रिम की न्यूनोक्ति और निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य की अत्योक्ति हुई। सांविधिक लेखापरीक्षकों का अवलोकन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य पूरा होने और प्रमाणन के बाद किया गया था।
2	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अपनाए गए नकदी प्रवाह का विवरण कंपनी द्वारा तैयार नहीं किया गया था। तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष के वित्तीय विवरण (नकदी प्रवाह विवरण सहित) पर सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया है। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने बताया कि जीवन बीमा कारपोरेशन ने ₹ 81.28 करोड़ की मांग उठाई, जिसमें से ₹ 6.03 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार, ₹ 75.25 करोड़ की गिरावट पाई गई। यह कथन तथ्यों पर आधारित नहीं है। जीवन बीमा निगम ने (7 सितंबर 2017) ₹ 84.07 करोड़ की मांग उठाई एवं इसके प्रति निगम ने केवल ₹ 3.50 करोड़ का भुगतान किया, इस प्रकार 31 मार्च 2018 तक ₹ 80.57 करोड़ की गिरावट हुई। तथापि सांविधिक लेखापरीक्षकों की गणना में ₹ 5.32 करोड़ की कमी थी।

स्रोत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप एवं जारी की गई टिप्पणियां

5.14.6 सांविधिक निगम, जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है

वे सांविधिक निगम, जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है, उनके लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

तालिका-5.13: वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	टिप्पणी
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम (2019-20)	निगम की 'वर्तमान देयताएं - यात्री व माल कर - हिमाचल प्रदेश विशेष पथ कर' एवं 'हानि' पर ₹ 22.84 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई, जिसका कारण था: • हिमाचल प्रदेश विशेष पथ कर पर ₹ 4.15 करोड़ का अल्प प्रावधान; • क्षेत्रीय कार्यालय, हिमाचल पथ परिवहन निगम, पठानकोट द्वारा परिकलित हिमाचल प्रदेश विशेष पथ कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 6.52 करोड़ की शास्ति का प्रावधान न करना; तथा • 31 मार्च 2020 तक निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय ₹ 12.17 करोड़ के पेंशन बकाया का अल्प प्रावधान।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी		
		निगम की 'वर्तमान देयताएं - ब्याज देय-सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट' और 'संचित हानि' कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि के विलंबित भुगतान पर सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को देय ब्याज के अधिक प्रावधान के कारण ₹ 0.53 करोड़ की अत्योक्ति हुई।
लेखाओं पर नोट्स		
		निगम ने बताया (लेखा नीतियों का परिच्छेद 11) कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण/कर्मचारियों की मृत्यु के प्रावधान वास्तविक आधार पर किए जाते हैं। लेखा नीति सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के तहत निर्धारित लेखांकन मानक-15 के अनुरूप नहीं है।

स्रोत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप एवं जारी की गई टिप्पणियां

5.15 लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों की अनुपालना न करना

कंपनी अधिनियम की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), 132 एवं 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखा मानक 1 से 7 व 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधित) नियम, 2016 के माध्यम से 39 भारतीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि आठ कंपनियों ने **परिशिष्ट-5.7** में विवर्णित अनिवार्य लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालना नहीं की।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने देखा कि निम्नलिखित कंपनियों ने भी लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं की थी, जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका-5.14** में विवर्णित है:

तालिका-5.14: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखा मानकों/ भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना न करना

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	विचलन
लेखांकन मानक-9: राजस्व मान्यता	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2019-20)	वसूली योग्य किराए को आय के रूप में मान्यता देना, जो कि किराया नियंत्रक, सोलन के समक्ष विचाराधीन है
भारतीय लेखांकन मानक-7: नकदी प्रवाह विवरण	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	नकदी प्रवाह विवरण को संलग्न न करना।
भारतीय लेखांकन मानक-37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां	ब्यास वैली पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	एक ठेकेदार से वसूली योग्य ब्याज दर्शाना जो कि आकस्मिक परिसंपत्तियां के अंतर्गत दिखाना चाहिए क्योंकि यह मध्यस्थता के अधीन है।
लेखांकन मानक-15	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान न करना।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक एवं निगम इकाई के अभिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मुद्दों पर संवाद स्थापित करना है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण आपत्तियां टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गई। ये कमियां सामान्यतः निम्न से सम्बंधित थीं:

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं; एवं
- कुछ जानकारियों की अपर्याप्तता या उन्हें उजागर न करना जिन पर सम्बंधित सांविधिक निगम ने आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

वर्ष के दौरान एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उद्यमों को प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे जिनका विवरण **परिशिष्ट-5.8** में दिया गया है।

5.17 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2021 तक दो सांविधिक निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से तीन अकार्यशील उद्यम हैं।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यशील उद्यमों द्वारा अर्जित ₹ 28.18 करोड़ के कुल लाभ में से 52.34 प्रतिशत योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड: ₹ 9.69 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 5.06 करोड़) का था।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों द्वारा ₹ 518.60 करोड़ की कुल उठाई गई हानि में से ₹ 493.04 करोड़ की हानि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड: ₹ 185.32 करोड़, हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 146.43 करोड़, हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 105.98 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 55.31 करोड़) की थी।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उनकी वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया। 30 नवंबर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों के 66 लेखे बकाया थे।
- 2020-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 189.67 करोड़ एवं परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 2,081.07 करोड़ था।

5.18 सिफारिशें

- राज्य सरकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें, क्योंकि लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में किए गए सरकारी निवेश राज्य विधायिका की निगरानी से बाहर रहते हैं।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यम न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। राज्य सरकार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यमों की परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ करने/पूर्ण करने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार लाभांश नीति के निर्देशों की अनुपालना हेतु लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश घोषित/अदायगी करना सुनिश्चित करें।

शिमला
दिनांक: 01 जुलाई 2022

(ऋतु ढिल्लों)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक